

## कार्यवृत्त

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-2975/Admin (B-I) Section; Allahabad : दिनांकित 03.10.2023 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के सम्मानित आदेश दिनांकित 07.10.2023 के अनुपालन में न्यायपीठ सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों चाय कैंटीन, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-2 तथा रेहड़ी दाल मौठ की वित्तीय वर्ष-2023-2024 के शेष बची अवधि हेतु नीलामी समिति की बैठक आज दिनांक 16.10.2023 को सांय 04:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री महेश कुमार, सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-08 सहारनपुर, श्री आलोक शर्मा, सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-11 सहारनपुर तथा श्री संजीव कुमार शर्मा, सदस्य नीलामी समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर उपस्थित आये।

बैठक में इस न्यायपीठ में स्थित सात प्रतिष्ठानों की पूर्व में की गयी नीलामी पर विचार किया गया, जो निम्नवत हैं।

- 1- फोटोस्टेट दुकान नं0-1:- इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2019-2020 में अंकन 3,24,000/- रुपये में छोड़ी गयी थी, जिसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नहीं हो सका।
- 2- फोटोस्टेट दुकान नं0-2:- इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2020-2021 में अंकन 10,40,000/- रुपये में छोड़ी गयी। यद्यपि कोविड-19 महामारी के कारण उपरोक्त ठेका पूर्ण नहीं हो पाया।
- 3- चाय कैंटीन:- इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2015-2016 में अंकन 10,66,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नहीं हो सका।
- 4- साईकिल स्टैंड:- इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2019-2020 में अंकन 31,52,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नहीं हो सका।
- 5- पान की दुकान नं0-1:- इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2016-2017 में अंकन 1,05,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नहीं हो सका।
- 6- पान की दुकान नं0-2:- इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2014-2015 में अंकन 2,27,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नहीं हो सका।
- 7- रेहड़ी दाल मौठ:- इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2014-2015 में अंकन 66,500/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नहीं हो सका।

बैठक में इस न्यायपीठ में स्थित सात प्रतिष्ठानों (चाय कैंटीन, साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-2 तथा रेहड़ी दाल मौठ) की बोली के सम्बन्ध में नियम व शर्तों पर विचार-विचार विमर्श किया गया तथा नियम व शर्तें निर्धारित की गयी। केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया गया कि वह उक्त सम्बन्ध में नियमों व शर्तों का माननीय जनपद न्यायाधीश से अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके प्रचार-प्रसार हेतु न्यायपीठ के नोटिस बोर्ड व कलेक्ट्रेट में स्थित नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा कराये तथा दो स्थानीय समाचार-पत्रों व एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र में प्रकाशन कराये एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर भी अपलोड कराये।

नीलामी की अग्रिम तिथि दिनांक 26.10.2023 नियत की जाती है।

(संजीव कुमार शर्मा)  
सदस्य नीलामी समिति /  
कोर्ट मैनेजर  
सहारनपुर।

(आलोक शर्मा)  
सदस्य नीलामी समिति /  
अपर जिला जज कक्ष सं0-11  
सहारनपुर।

(महेश कुमार)  
सदस्य नीलामी समिति /  
अपर जिला जज कक्ष सं0-08  
सहारनपुर।

(प्रकाश तिवारी)  
अध्यक्ष नीलामी समिति /  
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)  
सहारनपुर।

## नियम व शर्तें


दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों (चाय कैंटीन, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-02, साईकिल स्टैंड, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02, एवं रेहड़ी दाल मौठ) की नीलामी हेतु वित्तीय वर्ष-2023-2024 के शेष बचे माह के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं, जिनका अनुपालन अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

1. वित्तीय वर्ष-2023-24 हेतु जनपद न्यायालय सहारनपुर परिसर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों हेतु बोली प्रारम्भ करने के उद्देश्य से आधारित मूल्य एवं न्यूनतम मूल्य उपरोक्त वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के सापेक्ष में आनुपातिक होगी।
2. अनुज्ञप्ति धारक के किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति धारक को करनी होगी।
3. अनुज्ञप्ति धारक को सम्पूर्ण ठेका की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि अनुज्ञप्ति की उक्त अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नहीं करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।
4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।
5. बोलीदाताओं द्वारा बोली देने से पूर्व दोनों पान की दुकान एवं रेहड़ी दाल मौठ के लिए अंकन 30,000/-रुपये तथा चाय कैंटीन, साईकिल स्टैंड एवं दोनों फोटोस्टेट दुकान के लिए अंकन 50,000/- रुपये प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा करने होंगे, बोली की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन बोलीदाताओं के नाम ठेका नहीं छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
6. समस्त बोलीदाताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार, स्कूटर, साईकिल इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।
10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।
11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पेट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।


12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।
13. समस्त बोली प्राप्त करने वाले ठेकेदार को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. जिन बोलीदाताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन बोलीदाताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रूप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
15. ठेके की शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक माह के भीतर जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
16. न्यायालय परिसर में स्थित पान की दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट, एवं गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।
17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिडिंग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं अपने खर्च से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब-मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन लगाने की अनुमति नहीं होगी।
18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।
19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर करेंगे।
20. ठेकेदार इस आशय का भी अग्रिम-पत्र देगा कि वह पूर्व में डिफाल्टर नहीं है।




(संजीव कुमार शर्मा)  
सदस्य नीलामी समिति /  
कोर्ट मैनेजर  
सहारनपुर।



(आलोक शर्मा)  
सदस्य नीलामी समिति /  
अपर जिला जज कक्ष सं0-11  
सहारनपुर।



(महेश कुमार)  
सदस्य नीलामी समिति /  
अपर जिला जज कक्ष सं0-08  
सहारनपुर।



(प्रकाश तिवारी)  
अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)  
सहारनपुर।

# सार्वजनिक सूचना

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ की नीलामी के लिए वित्तीय वर्ष-2023-2024 की शेष बची अवधि हेतु कार्यवाही दिनांक 26.10.2023 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. भवन में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्तें, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

  
(प्रकाश तिवारी)


अध्यक्ष / नीलाम समिति /

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)

सहारनपुर।

# प्रेस विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में स्थित एक कैन्टीन (नाश्ता चाय आदि), साईकिल स्टैंड, फोटोस्टेट दुकान नं0-01, फोटोस्टेट दुकान नं0-2, पान की दुकान नं0-01, पान की दुकान नं0-02 व एक रेहड़ी दाल मौठ की नीलामी के लिए वित्तीय वर्ष-2023-2024 की शेष बची अवधि हेतु कार्यवाही दिनांक 26.10.2023 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. भवन में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्तें, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

  
(प्रकाश तिवारी)

अध्यक्ष / नीलाम समिति /  
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)  
सहारनपुर।